

हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक, एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्या: ईडीएन (टीई) ए(3)4 / 2018-लूज

तारीख, शिमला-02, २५/२/ 2020

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्या: एस0टी0वी0 (टी0ई0) ए (3)8/87 तारीख 16.06.1994 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, छात्रावास अधीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1994 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ !

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, छात्रावास अधीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन), नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र, (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

उपाबन्ध-“क” का संशोधन।

2 हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, छात्रावास अधीक्षक वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात “उक्त नियम” कहा गया है), के उपाबन्ध “क” में,-

(क) स्तम्भ संख्या: 4 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थातः-

(i) नियमित पदधारी के लिए पे बैण्डः

₹ 10300-34800, जमा ₹ 3200 ग्रेड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियाः

स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ₹ 13500 प्रतिमास।, और

(ख) स्तम्भ संख्या 15-क के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थातः-

"15-क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः

इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियाँ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी:-

(I) संकल्पना:-

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में छात्रावास अधीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

- (ख) पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : निदेशक, तकनीकी शिक्षा हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
- (ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियाँ:-

संविदा के आधार पर नियुक्त श्छात्रावास अधीक्षक को ₹ 13,500/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में ₹ 405/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी:-

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा/होगी ।

(IV) चयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, लिखित परीक्षा के गुणागुण तथा इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट-I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा के गुणागुण

प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम् पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0—एस0 आर0, छुट्टी नियम, साधारण भविष्य नियम, पैशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ₹०प००एफ० / जी०प००एफ० भी लागू नहीं होगा।"

आदेश द्वारा,

निशा सिंह
अति० मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकनः संख्याईडीएन(टीई)ए(3)४ / २०१८—लूप्ज

2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—०२
- 2 सचिव, हि० प्र० लोक सेवा आयोग, शिमला—२ को २ अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- 3 सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हि०प्र० सरकार, शिमला—०२
- 4 निदेशक तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हि० प्र० सुन्दरनगर जिला मण्डी।
- 5 नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री हि० प्र० शिमला—०५ को असाधारण राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
- 6 वरिष्ठ विधि अधिकारी, राजभाषा खण्ड —।। विधि विभाग, हि०प्र० सचिवालय।
- 7 गार्ड नस्ति।



परमजीत ठाकुर
उप सचिव (तक० शिक्षा०)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

और इन नियमों से संलग्न परिशिष्ट -I में यथा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार मूल्यांकन तथा पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की) या व्यावहारिक परीक्षा या दक्षता परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर/अन्य भर्ती अभिकरण/भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(v) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति:

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(vi) करार :

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध—"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(vii) निबन्धन और शर्तें :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ₹ 13,500/- प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में ₹ 405/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम् जमा ग्रेड का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समापन) किए जाने के लिए दायी होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी पर्यवसान (समापन) आदेश से सन्तुष्ट नहीं है तो वह उस तारीख, जिसको पर्यवसित (समापन) आदेश की प्रति उसे परिदत्त की गई है, से पैंतालीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी, जो नियुक्ति प्राधिकारी से उच्चतर पंक्ति का होगा, को अपील कर सकेगा।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक कलैण्डर वर्ष में, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश का हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला को दो जीवित बच्चों तक एक सौ अस्सी दिन का प्रसूति अवकाश दिया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में,

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल० टी० सी० इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा।

अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समाप्त) हो जाएगा तथापि अपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा:

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ঙ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो।

(চ) चयनित अभ्यर्थी को, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में, चिकित्सा बोर्ड द्वारा और अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी की दशा में सरकारी अधिकारी द्वारा जारी अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन महिला अभ्यर्थियों की दशा में जिन्हे परिसंकटमय स्वरूप के कर्तव्यों को कार्यान्वित करने वाले पदों के विरुद्ध नियुक्त किया जाना है और यदि उन्हे प्रशिक्षण की अवधि को सेवा-शर्त के रूप में पूर्ण करना है तो ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो परीक्षण के परिणामस्वरूप बारह सप्ताह या इससे अधिक समय से गर्भवती पायी जाती है को अरथाई रूप से अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और उसकी नियुक्ति को तब तक आस्थगित रखा जाएगा जब तक कि प्रसवास्था समाप्त नहीं हो जाती है। ऐसी महिला अभ्यर्थी को प्रसवास्था की तारीख से छह सप्ताह के पश्चात चिकित्सा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा, और यदि वह उपर्युक्त यथा विर्निर्दिष्ट प्राधिकारी से चिकित्सा आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उपयुक्त पाई जाती है तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर नियुक्त की जा सकेगी।

(ছ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसा कि नियमित